

अध्याय तृतीय

शोध प्रविधि एवं न्यादर्श

शोध प्रविधि एवं न्यादर्श

3.1 शोध प्रविधि

किसी भी शोधकार्य में यह सम्भव नहीं हो पाता कि सभी लक्ष्यगत् समष्टि को अध्ययन में शामिल किया जाये। अतः समष्टि की समस्त इकाईयों में से अध्ययन हेतु कुछ इकाईयों को एक निश्चित विधि द्वारा चुन लिया जाता है। उन संकलित इकाईयों के समूह को न्यादर्श कहते हैं। इस न्यादर्श के आधार पर ही अध्ययनगत् निष्कर्ष घटित होते हैं। इसके पीछे यह अवधारणा रहती है कि जो न्यादर्श के विषय में पाया जाता है वही समष्टि के विषय में भी होगा। अर्थात् न्यादर्श के चयन में शोधकर्ता को पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है उसका न्यादर्श समष्टि का प्रतिनिधित्व करता हो और निष्कृत रूप से ढुना गया हो। उदाहरण के लिये यदि कक्षा 5 के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन करना हो तो उस क्षेत्र के सभी प्रकार के विद्यालयों एवं हर वर्ग के कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शामिल किया जायेगा। यदि ऐसा नहीं किया गया और मात्र आदर्श शालाओं के विद्यार्थियों का ही चयन किया गया तो यह न्यादर्श अधिनयात्मक न्यादर्श की श्रेणी में आ जायेगा जो समष्टि का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा।

3.2 न्यादर्श का चयन

इस आशिक शोध कार्य के लिये असम्भाविता न्यादर्श प्रतिनिधित्व की अपनाया गया है और इसके अंतर्गत प्रयोजनात्मक प्रतिचयन का उपयोग किया गया है। इस शोध कार्य का उद्देश्य था आकाशवाणी द्वारा प्रसारित पाठों की प्रभाविता का अध्ययन करना। अतः जिन बालक-बालिकाओं, शिक्षक-शिक्षिकाओं और विशेषज्ञों ने इन पाठों का श्रवण किया है उन्हीं को इसमें शामिल किया गया है। चूंकि इन सभी की संख्या बहुत कम थी इसलिये अधिकांश बालक-बालिकाओं, शिक्षक-शिक्षिकाओं और विशेषज्ञों को अध्ययन में शामिल कर लिया गया है। इन व्यक्तियों के

जितने भी पत्र राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, भोपाल को प्राप्त हुये हैं उसी को आधार मानकर उनको अध्ययन में शामिल किया गया है। ऐसा निर्णय शोधकर्ती ने अपने विवेक के आधार पर शोध उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया है।

यद्यपि असम्भाविता प्रतिचयन की जितनी भी विधियाँ हैं वे सभी पर्याप्त रूप से असंतोषजनक हैं। उनकी शुद्धता का एवं त्रुटियों का आकलन सही-सही नहीं किया जा सकता तथा परिणामों का सामान्यीकरण सम्भव नहीं हो पाता, तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि ये सभी विधियाँ निरर्थक एवं बेकार हैं। इनके अंतर्गत जो परिणाम प्राप्त होते हैं वे नवीन संकल्पनाओं नये दृष्टिकोणों व कई प्रकार की अतिरिक्त अवधारणाओं को जन्म दे सकते हैं जिनका परीक्षण अधिक वैज्ञानिक ढंग से बाद में किया जा सकता है।

इस लघु शोध कार्य में जिन व्यक्तियों का चयन किया गया है उनसे संबंधित सूचनायें सारणी क्रमांक 1 में दी जा रही हैं:

सारणी क्रमांक - 1

पाठ्यमिक शाला के बालक - बालिकाओं, शिक्षकों एवं विषय-विशेषज्ञों से सम्बन्धित जानकारी

व्यक्ति	संख्या	क्षेत्र जहाँ से पत्र मिले
बालक- बालिकायें	30	नागदा, सतना, सीहोर, रायपुर, दुर्ग, रतलाम चिंचौली, डोगरगांव, राजनांदगांव, नरसिंहपुर बांदा, बकेवर, जबलपुर, महोबा, चित्तौड़गढ़, हरदोई, बंजारी
शिक्षक- शिक्षिकायें	20	भोपाल, जबलपुर, बड़वाहा, रतलाम, सीहोर, मंदसौर, दुर्ग
विषय- विशेषज्ञ	20	एस.सी.ई.आर.टी., भोपाल, डी.आई.ई.टी., भोपाल, जबलपुर
कुल	70	

3.3 शैक्षिक उपकरण

किसी भी अनुसंधान कार्य में प्रदत्त संकलन हेतु कुछ शैक्षिक उपकरणों का निर्माण किया जाता है। उनकी सहायता से ऐच्छिक सूचनायें प्राप्त की जाती हैं। इस लघु शोध कार्य में जिन उपकरणों का प्रयोग किया गया है उनका वर्णन निम्नलिखित है :

3.4 प्रश्नावली का निर्माण एवं विकास

शोध के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये शिक्षकों एवं विशेषज्ञों के लिये अलग-अलग प्रश्नावलियों का निर्माण किया गया। इसमें शोध विषय के विभिन्न पहलुओं से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया गया। प्रश्नों के निर्माण में उनकी क्रमबद्धता को ध्यान में रखा गया है।

शिक्षकों के लिये निर्मित प्रश्नावली में प्रसारण विषयक विभिन्न पहलुओं के कुल 9 प्रश्नों का समावेश किया गया है। इसमें लघु उत्तरीय एवं बहुविकल्पी प्रश्नों को रखा गया है। विशेषज्ञों के लिये निर्मित प्रश्नावली में कुल 9 प्रश्न हैं जो अतिलघुउत्तरीय हैं। इन प्रश्नों में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि प्रश्न सरल, स्पष्ट एवं सटीक हों तथा द्विअर्थी प्रश्नों को इनमें सम्मिलित नहीं किया गया ताकि प्राप्त उत्तरों में संदिग्धता न रहे।

प्रश्नावली के विभिन्न खण्ड इस प्रकार थे :

1. शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण संबंधी प्रश्न
2. शैक्षिक कार्यक्रमों की उपयोगिता संबंधी प्रश्न
3. शिक्षकों की प्रतिक्रिया संबंधी प्रश्न
4. कार्यक्रम के उद्देश्य संबंधी प्रश्न
5. कार्यक्रम से संबंधित कठिनाईयों के संबंध में प्रश्न



3.5 प्रदत्त संकलन

इस लघु शोध में प्रमुख रूप से एस.सी.ई.आर.टी. से प्राप्त पत्रों का विश्लेषण किया गया है। शोधकर्ता स्वयं एस.सी.ई.आर.टी., भोपाल के अपर संचालक श्री रविन्द्र मालव एवं उनके सहयोगियों से मिली और विभिन्न शहरों से प्राप्त पत्रों की छाया प्रतिलिपि प्राप्त की। कुल मिलाकर 50 पत्रों की छाया प्रतिलिपि प्राप्त हुयी थी जिनमें से 30 बालक बालिकाओं के 10 शिक्षकों के एवं 10 विषय-विशेषज्ञों की अनुगूंज कार्यक्रम के संदर्भ में प्रतिक्रियायें थीं। 10 विषय-विशेषज्ञों से जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् एवं जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान एवं आकाशवाणी भोपाल के थे, को प्रश्नावली दी गयी जिसको उन्होंने भरकर वापस कर दिया।

एस.सी.ई.आर.टी. एवं आकाशवाणी के कुछ विशेषज्ञों से व्यक्तिगत भेट की और उनसे अनुगूंज कार्यक्रम से संबंधित मौखिक रूप से सूचनायें, प्रतिक्रियायें एवं सुधार हेतु सुझाव लिये गये। जिनको बाद में विश्लेषण में शामिल किया गया।

3.6 प्रदत्तों का संकलन हेतु प्रयुक्त तकनीकी

शोधकर्ता स्वयं जगह-जगह जाकर प्रदत्तों का संकलन करती रही। अतः यह शोध सर्वेक्षण प्रकार का है।

3.7 सांरिक्षकीय विधियाँ

इस शोध कार्य में मात्र औसत और प्रतिशत का ही प्रयोग किया गया है।